6.3.19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पूर्व आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ से आज भी फर्दरिपोर्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। पुनः पत्र लिखा जावे। इन्तजार रिपोर्ट हेतु दिनांक 21.5.19 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
12.4.19	पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर पत्रावली प्रार्थना पत्र विड्रा का पेश होने पर आज पेश हुई। वादिया स्वयं उपस्थित। जिसकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपनी बहस में कथित किया उनवानी प्रकरण को वादिया आगे चलाना नहीं चाहती है वाद को इसी स्टेज पर खारिज किया जावे तथा उक्त प्रकरण में पूर्व में T.I. प्रा० पत्र सं० 173/15 कन्फर्म है उसको भी खारिज करने के आदेश दिये जावे। वकील वादिया की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रस्तुत प्रा०पत्र O23R1 CPC को स्वीकार किया जाता है तथा वाद को विड्रा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं वाद को खारिज किया जाता है। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अस्थाई निषेधाज्ञा सं० 173/15 जो पूर्व में कन्फर्म किया है जब मूलवाद खारिज किया है तो मु.नं. 173/15 का कोई औचित्य नहीं रहता है इसलिये उक्त प्रा० पत्र (T.I.) को भी खारिज समझा जावे जो मूलवाद के साथ शामिल है।	सीता Identified [signature] 12-4-19

फर्द अहकाम

सीतादेवी बनाम नाथूलाल वगै.

नाम न्यायालय

केस संख्या मु.नं. - 184/2015

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.24 13:35:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: